



संख्या-159/2026/842/69-1-2026-2036456

प्रेषक,

लाल मणि यादव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2026

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के ए०एच०पी० घटक के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों में बाह्य विकास कार्य (यथा-ट्रक, जलापूर्ति, ट्रक ड्रेन, सीवर लाईन, जल निकासी, एप्रोच रोड एवं बाह्य विद्युतीकरण आदि) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5027/08/29/एचएफए-एचपी/वाल्सूम-XII/2025/26 दिनांक 20.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय में प्राविधानित बजट के सापेक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के ए०एच०पी० घटक के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों में बाह्य विकास कार्य (यथा-ट्रक, जलापूर्ति, ट्रक ड्रेन, सीवर लाईन, जल निकासी, एप्रोच रोड एवं बाह्य विद्युतीकरण आदि) के कुल 17 परियोजनाओं हेतु धनराशि रु. 101.1666 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था, तत्क्रम में शासन के पत्र दिनांक 26.03.2026 द्वारा 17 परियोजनाओं में से 03 परियोजना जिसकी कुल लागत रु. 2292.35 लाख थी, को छोड़ते हुए शेष परियोजनाओं की रु. 78.24 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त विषयगत परियोजनाओं में से अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक 2217050510400 में प्राविधानित अनुपूरक कुल बजट रु. 7392.00 लाख (रूपये तिहत्तर करोड़ बानबे लाख मात्र) में से जनपद-झांसी के करारी में जलापूर्ति कार्य परियोजना की अनुमानित लागत रु. 624.49 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रु. 312.245 लाख (रूपये तीन करोड़ बारह लाख चौबीस हजार पांच सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति के पूर्व सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को धनराशि हस्तांतरित कर देंगे।
 2. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ०प्र०, लखनऊ द्वारा उक्त धनराशि निर्धारित प्रक्रियानुसार संबंधित को अंतरित की जायेगी।
 3. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
 4. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
 5. कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी निदेशक राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
 6. प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश
 7. सैंटेज चार्ज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/7-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/0-2-66/दस-2023-17(4)/75 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-9-668-एक्स-2025-26, दिनांक 31 मार्च, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(लालमणि यादव)

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ०प्र० शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(लालमणि यादव)
उप सचिव।